न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–05/2014 तारीख दायरा 01.07.2014
प्रकरण संख्या :–06/2014

1. अजीतपालसिंह
2. अमरजीतसिंह पिसरान रामजस सिंह जाति रामगढिया सिख निवासीगण
3. रणजीतसिंह वार्ड नम्बर 06 श्री बिजयनगर ..... अपीलांटस

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्री करणपुर
2. परमजीतसिंह पिसर मुतबन्ना मुख्तयारसिंह जाति रामगढिया सिख निवासी श्री बिजयनगर

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट

उपस्थित :–श्री जितेन्द्र सरपाल एडवोकेट जरिये अपीलांटस
श्री तेजासिंह एडवोकेट जरिये रैस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय दिनांक 14/11/17

1. तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांटस द्वारा 2 अपीलें इस आशय की पेश की गई कि अपीलांटस के पिता स्व0 रामजससिंह के नाम से चक 11 एस के खाता संख्या 54 मु0नं0 26,34,35,36,60/23, 60/29 का 23.900 हैक्टर में रकबा खातेदारी दर्ज था तथा चक 6 वी धनूर के खाता संख्या 73 मु0नं0 24 का 3.035 हैक्टर दर्ज था। राम सिंह व उसकी पत्नी का देहान्त हो गया। अपीलांटस ही मृतक पिता के जायज वारिसान होने से अपीलांटस ने इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही की। नगर पालिका श्री विजयनगर द्वारा रामजससिंह का वारिसनामा जारी किया गया। दिनांक 26.05.14 को पटवारी से सम्पर्क किया तो सम्पर्क नहीं हो पाया पुनः 11.06.14 को पटवारी से सम्पर्क करने पर पता चला कि इन्तकाल दर्ज हो गया था तथा रैस्पो0 नं0 02 का नाम भी जोडने का आदेश होकर इन्तकाल जेर अपील होगया। इन्तकाल जेर अपील यानि रैस्पोडेंट संख्या 02 का नाम नवीन अंकन करने का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना नहीं गया। 11 एस की भूमि का इन्तकाल संख्या 586 पहले अपीलांटस के नाम से किया गया था मगर बाद में रैस्पोडेंट संख्या 2 का नाम नवीन अंकन करने का आदेश दिया गया है। रैस्पोडेंट संख्या 2 रामजससिंह का पुत्र नहीं है वह 1975 से पहले ही राम जस सिंह के भाई मुख्तयारसिंह के खोले गया हुआ है तथा उसने जमीन भी अलाट करवाई है जिसमें अपने पिता का नाम मुख्तयारसिंह दर्ज किया। उसके नाम से आवंटित भूमि की जमाबन्दी में भी पिता का नाम मुख्तयारसिंह अंकित है। अधिशाषी अधिकारी श्री बिजयनगर में चले विवाद में दिये गये वकालतनामा में भी पिता का नाम मुख्तयारसिंह अंकित है। रामजस सिंह ने अपने जीवन काल में सम्पति का विभाजन किया उसमें अपीलांटस को ही पुत्र मानकर सम्पति का विभाजन किया है। मातहत अदालत द्वारा इन्तकाल किये जाने के बाद रिव्यु करने का अधिकार नहीं है केवल सक्षम न्यायालय में अपील हो सकती थी। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

2. अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेंट संख्या 2 को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभय पक्षों के अधिवक्तागण उपस्थित हैं।

3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांटस का कथन है कि अपीलकृत भूमि अपीलांटस के पिता के नाम से थी। जिसके अपीलांटस ही जायज वारिसान हैं। इन्तकाल जेर अपील यानि रैस्पोडेंट संख्या 02 का नाम नवीन अंकन करने का आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुना

नहीं गया। 11 एस की भूमि का इन्तकाल संख्या 586 पहले अपीलांटस के नाम से किया गया था मगर बाद में रैस्पोडेंट संख्या 2 का नाम नवीन अंकन करने का आदेश दिया गया है। रैस्पोडेंट संख्या 2 रामजससिंह का पुत्र नहीं है वह 1975 से पहले ही राम जस सिंह के भाई मुख्तयारसिंह के खोले गया हुआ है तथा उसने जमीन भी अलाट करवाई है जिसमें अपने पिता का नाम मुख्तयारसिंह दर्ज किया। उसके नाम से आवंटित भूमि की जमाबन्दी में भी पिता का नाम मुख्तयारसिंह अंकित है। अधिशाषी अधिकारी श्री बिजयनगर में चले विवाद में दिये गये वकालतनामा में भी पिता का नाम मुख्तयारसिंह अंकित है। रामजस सिंह ने अपने जीवन काल में सम्पति का विभाजन किया उसमें अपीलांटस को ही पुत्र मानकर सम्पति का विभाजन किया है। मातहत अदालत द्वारा इन्तकाल किये जाने के बाद रिव्यु करने का अधिकार नहीं है केवल सक्षम न्यायालय में अपील हो सकती थी। अपीलांटस को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जावे।

4. इसके विरोध में लायक वकील रैस्पोडेंट का कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.14 को किया गया है। जैसा कि वकील अपीलांट का कथन है कि रैस्पोडेंट संख्या 2 राम जस सिंह का पुत्र नहीं है बल्कि मुख्तयार सिंह का पुत्र है व मुख्तयारसिंह के गोद गया हुआ है उक्त कथन आधारहीन है यदि रैस्पो0 संख्या 2 परमजीतसिंह मुख्तयार सिंह के गोद गया हुआ है तो अपीलांटस को गोदनामा का प्रमाणित दस्तावेज पेश करना चाहिये था। जो पेश नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश 14.02.14 का है जिसकी 30 दिवस में अपील होनी चाहिये थी लेकिन 23.06.14 को पेश की गई है जो मियाद बाहर है अतः अपील उक्त आधारों पर खारिज की जावे।

5. समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। चूँकि दोनो अपीलों के तथ्य ,पक्षकार , व विवादित भूमि एक समान हैं अतः दोनो अपीलों का निर्णय एक साथ किया जा रहा है। निर्णय की एक प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक 25.09.13 को पटवारी हल्का इन्तकाल भरा गया जिसे गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक 10.10.13 को विवादित विरासतन प्रमाण पत्र माना गया व जांच कर पेश करने हेतु प्रेषित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 10.02.14 को मजमे आम में जांच की गई व नोट अंकित किया है कि अजीतपाल सिंह आदिने अपने सगे भाई परमजीतसिंह को मुख्तयार सिंह के गोद गया होना बताया जांच करने के पश्चात मुख्तयार सिंह के फौत होने पर चक 6 वी के इन्तकाल संख्या 453 व चक 11 एस के इन्तकाल संख्या 528 जो मुख्तयार सिंह के जायज वारिसान के नाम ही स्वीकृत हुआ है इससे सिद्ध होता है कि परमजीतसिंह गोदनामा नहीं पाये जाने पर राम जस के वारिसान में नाम जोडा गया है। गिरदावर हल्का द्वारा वारिसान सही होना मानकर तहसीलदार के समक्ष पेश किया व तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का व गिरदावर की रिपोर्ट के आधार पर परमजीत का नाम जोडा जाकर इन्तकाल तस्दीक किया गया है।

6. रिबटल में लायक वकील अपीलांट का कथन है कि गोदनामा रैस्पो. के पास है तो पेश करना चाहिये था चूँकि गोद जाने के पश्चात भी पूर्व पैतृक परिवार की सम्पति से हक समाप्त नहीं होते।

7. इसके विपरीत सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सदस्य प्रमाण पत्र जो नगर पालिका विजयनगर द्वारा जारी किया गया है में परमजीतसिंह को वारिस नहीं माना गया है। परमजीतसिंह द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका श्री विजयनगर में नकल रिकार्ड लेने हेतु पिता का नाम मुख्तयार सिंह लिखा है। राम जस सिंह द्वारा लिखी गई तहरीर में परमजीतसिंह को अपने भाई मुख्तयारसिंह के गोद जाना बताया है। परमजीतसिंह द्वारा अधिशाषी अधिकारी श्री विजय नगर के वकालत नामा पेश किया गया है जिसमें पिता का नाम मुख्तयार सिंह दर्ज किया है। मुख्तयारसिंह के परिवार कार्ड में भी परमजीतसिंह का नाम दर्ज है। परमजीतसिंह द्वारा भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उसमें भी पिता का नाम मुख्तयारसिंह दर्ज किया है। भूमिहीन

काश्तकार के प्रमाण पत्र में भी परमजीतसिंह के पिता का नाम मुख्तयारसिंह दर्ज है। उक्त समस्त बिन्दुओं की अदालत मातहत द्वारा विस्तार से जांच नहीं की गई। जो की जानी चाहिये थी। अपीलांटस को सुना जाना चाहिये था।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलें स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश 14.2.14 जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 586 दर्ज किया गया व आदेश दिनांक 15.02.14 जिसके द्वारा इन्तकाल विरासत करने के बाद रिव्यु कर खारिज किया गया, अपास्त योग्य है जो अपास्त किये जाते है व मामला नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर को रिमांड किया जाता है कि उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच कर गुणावगुण पर स्पष्ट आदेश पारित करें।

9. निर्णय की प्रति मय रिकार्ड नायब तहसीलदार केसरीसिंहपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर